73वां संविधान (संशोधन) विधेयक, 1992 के 23 अप्रैल, 1993 से लागू हो जाने के बाद पंचायती राज को ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक विभाग के रूप में चलाया जाता रहा है। ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नौवीं पंचवर्षीय योजना में जहां ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए 42,874 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, वहीं दसवीं पंचवर्षीय योजना में 76,774 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू.पी.ए.) सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक अलग मंत्रालय बना दिया है।

केन्द्र में शासित यू.पी.ए. सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा संविधान के अनुच्छेद 9 में निर्धारित पंचायती राज के प्रभावी कार्यान्वयन और उससे सम्बद्ध प्रावधानों को केन्द्र और राज्यों द्वारा संयुक्त स्वीकृति के लिए कार्रवाई के मुद्दों पर आम सहमति बनाने में सफलता प्राप्त की है। यू.पी.ए. शासन के दौरान त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था द्वारा सत्ता का लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण हुआ है। ग्रामीण भारत में चहुंमुखी विकास को गति प्रदान करने के लिए भारत निर्माण योजना शुरू की गई है। इसके अन्तर्गत वर्ष 2005-06 से 2008-09 के दौरान गांवों में विकास कार्यों पर 1,74,000 करोड़ के अपेक्षित निवेश के साथ चार वर्ष में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा सके। बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुसंशित 20,000 करोड़ रु. में से 20 फरवरी, 2010 तक 18,294 करोड़ रु. राज्यों को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यों के लिए जारी किए जा चुके हैं। आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा प. बंगाल को दस किस्तें तथा छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, नगालैंड और सिक्किम को नौ किस्तें जारी की गई हैं।

पंचायती राज से सम्बन्धित केन्द्रीय अधिनियम
(Central Legislation related to Panchayati Raj)

पंचायती राज से सम्बन्धित विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा ने दिसम्बर, 1992 को सर्वसम्मति से पास कर दिया था। इस विधेयक को 17 राज्यों की विधान सभाओं ने भी अपनी संस्तुति प्रदान कर दी थी। यह विधेयक संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के रूप में 24 अप्रैल, 1993 से सम्पूर्ण भारत में प्रभावशील हो गया। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा संविधान में नया अध्याय 9 जोड़ा गया है। अध्याय 9 द्वारा संविधान में 16 अनुच्छेद और एक अनुसूची (ग्यारहवीं अनुसूची) जोड़ी गई। इस अधिनियम के पारित होने से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ तथा इसके लागू होने के परिणामस्वरूप दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर लगभग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने कानून बना लिए।

यह संविधान संशोधन 'पंचायत अधिनियम, 1992' (Panchayat Act, 1992) के नाम से जाना जाता है। केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान को इस अधिनियम के अनुरूप राज्य अधिनियम बनाने तथा चुनाव कराने के साथ भी जोड़ दिया

Scanned with CamScanner